संoसंo–9/आo–01–60/2016 118(9)
05.02.25

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डा0 महावीर प्रसाद गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसठ, बक्सर** के पदस्थापन काल में दिनांक–16.05.2016 से 03.01 2018 एव 01.06 2018 रो 30.07 2020 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप जैसा कि आरोप पत्र मे अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त **डा0 गुप्ता** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के सचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के अधीन **डॉ0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार** को सचालन पदाधिकारी तथा नियम–17(5) के अधीन **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डा0 गुप्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी रामय जैसा कि सचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वय उपस्थित हो।

4. इसमे माननीय उप (मुख्य) स्वास्थ्य मत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
05/02/2025
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–60/2016(स्वा0)118(9)**/ पटना, दिनांक :**05.02.25

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यो की प्रति सहित **डॉ0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेगे।

05/02/2025
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–60/2016(स्वा0)118(9)**/ पटना, दिनांक :**05.02.25

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/02/2025
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–60/2016(स्वा0)118(9)**/ पटना, दिनांक :**05.02.25

प्रतिलिपिः– डा0 महावीर प्रसाद गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसठ, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा से अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

05/02/2025
सरकार के अवर सचिव।